फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – जहानगंज फतेहगढ़

दिनांक :- 17.09.2023

थाना जहानगंज पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0- 230/23 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आला कत्ल 01 अदद तंमचा व 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री प्रशान्त कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद **श्री अरुण कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0- 230/23 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आला कत्ल 01 अदद तंमचा व 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मुखविर की सूचना पर 03 अभियुक्तगण 1. उदय प्रताप उर्फ हरीओम पुत्र विनोद कुमार, 2. शैलेन्द्र पुत्र सुखवासी लाल निवासीगण रठौरा मोहद्दीनपुर थाना जहानगंज 3. रेहान पुत्र रियाज खाँ निवासी करीमगंज थाना जहानगंज के विरुद्ध मु0अ0सं0- 230/23 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आला कत्ल बरामदगी अभियुक्त रेहान उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 201/120बी/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढौतरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1- उदय प्रताप उर्फ हरीओम पुत्र विनोद कुमार नि0 ग्राम रठौरा मोहद्दीनपुर थाना जहानगंज।

2- शैलेन्द्र पुत्र सुखवासी लाल निवासी रठौरा मोहद्दीनपुर थाना जहानगंज।

3- रेहान पुत्र रियाज खाँ निवासी करीमगंज थाना जहानगंज।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उदयप्रताप उर्फ हरीओम तथा शैलेन्द्र उपरोक्त द्वारा अपने जुर्म की माफी मांगते हुये बताया कि साहब हमको तमंचा रेहान ने दिया था। हमसे गलती से फायर हो गया। तथा अभियुक्त रेहान के बताया कि साहब मैंने तंमचा उन लोगो को दिया था तथा उन लोगों ने फायर कर दिया जिससे अभिषेक पुत्र ग्रीशचन्द्र नि0 ग्राम रठौरा मोहद्दीनपुर थाना जहानगंज को गोली लग गयी। तंमचा मैंने ही दिया था। मेरे कब्जे से 01 तंमचा मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर आपने मेरे कब्जे से बरामद किया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0स0 230/23 धारा 307/201/120बी/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानगंज।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना जहानगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शिवबहादुर सिंह
2. का0 मुनवेन्द्र
3. का0 मनोज कुमार
4. का0 धीरज कुमार
5. का0 बृजवीर सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक :- 17.09.2023

पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्वक एवं त्वरित निस्तारण हेतु कार्यशाला का किया गया आयोजन।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री **विकास कुमार** द्वारा दिनांक 17.09.2023 को रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में स्थित सभागार में एक विशेष कार्यशाला समय 11:30 से 05:00 तक आयोजित की गयी जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/उप निरीक्षकगण एवं मालखाना मोहर्रिर को विवेचनाओं के अनेक सूक्ष्म पहलूओं पर चर्चा कर विवेचनाओं में गुणवत्तापूर्वक एवं त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया एवं आधुनिक, वैज्ञानिक पद्धतियों व साक्ष्यों की बारीकियों से अवगत कराया एवं फील्ड यूनिट का अधिक से अधिक विशेषकर महिला सम्बन्धी अपराध एवं लूट जैसे अपराधों में सूक्ष्म से सूक्ष्म साक्ष्य संकलन हेतु प्रयोग किय जाना एवं घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर नक्शा-नजरी बनाकर सटीक विवेचनात्मक कार्यवाही किय जाना व शीघ्र-से-शीघ्र आरोप-पत्र माननीय न्यायालय भेज अभियुक्त को प्रभावी पैरवी करवाते हुये अधिक से अधिक सजा दिलाते हुये कार्यवाही करवाना आदि का प्रशिक्षण दिया गया व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

मीडिया सेल फतेहगढ़